राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांकः–आर0एम0पी0यू0 / 202 / 2025 दिनांकः– 30 जनवरी 2025

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
अनुदानित महाविद्यालय
सम्बद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,
अलीगढ़।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपयुक्त विषयक डॉ दीपक शुक्ल के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 15.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (संलग्न)। उक्त आवेदन के बिन्दु संख्या–1 से 3 तक की सूचना आवेदक को उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रतिलिपि विश्वविद्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय

30.01.2025

उप कुलसचिव / जनसूचना अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. डॉ दीपक शुक्ल, अधिवक्ता, 145 सी 1 चांदपुर सलोरी तेलियरगंज, प्रयागराज, पिनकोड–211004।
2. निजी सचिव, मा0 कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रभारी वेबसाइट को इस निर्देश के साथ समस्त सम्बद्ध अनुदानित महाविद्यालय, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की महाविद्यालय लॉग–इन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

उप कुलसचिव / जनसूचना अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

Dr. DEEPAK SHUKLA
ADVOCATE
ALLAHABAD HIGH COURT
Ch.No.-41-A,OLD BUILDING

ADVOCATE

Mo-9450596576(w)
9140665429
Email-advdeepakald26@gmail.com
Residence-145C/1,Chandpur Salori
Teliyarganj,Prayagraj Pin-211004

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6(1) के अन्तर्गत आवेदन

202408011651/16/08/2024

सेवा में,

कुलसचिव / जनसूचनाधिकारी
राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय,
पलवल रोड, लोधा,
अलीगढ़- 202140

महोदय,

आवेदक को आपके विश्वविद्यालय से सम्बद्ध **मात्र ऐसे अनुदानित महाविद्यालयों की सूचनाएँ वांछित हैं जिनमें स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं** i आवेदक द्वारा मांगी गई सूचनाये भ्रष्टाचार एवं व्यापक जनहित से सम्बन्धित है i इस कारण से जनसूचनाधिकारी आवेदक को सुचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-24 के अन्तर्गत सूचनाये देने से इन्कार नहीं कर सकता है i आवेदक द्वारा मांगी गई सूचनाओ को अधिनियम द्वारा निर्धारित समयसीमा 30 दिनों के अन्दर आवश्यक रूप से प्रदान करवाने का कष्ट करे i सुचना अधिकार शुल्क के रूप में दस रूपये का पोस्टल आर्डर संख्या-56 F 465796 आवेदन के साथ संलग्न किया जा रहा है

1-विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षको की CPF कटौती विश्वविद्यालय से निर्गत अनुमोदनपत्र में उल्लिखित किये जाने के बाद कराई जा रही है या नहीं यदि हाँ नहीं तो विश्वविद्यालय से निर्गत पत्र में उल्लिखित होने के बाद भी उसका अनुपालन कराये जाने का दायित्व किसका है स्पष्ट रूप से बताने का कष्ट करे i

2-विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनुदानित महाविद्यालयों के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत अनुमोदित शिक्षकों से अनुभव के आधार पर विश्वविद्यालयी परीक्षा सम्बन्धी कार्य जैसे- पेपर बनाना, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, प्रेक्टिकल में इंटरनल/एक्सटर्नल परीक्षक बनना, उड़न दस्ता, पीएच.डी. गाइड बनना, परीक्षा सम्बन्धी विभिन्न समितियों में शामिल करना, आदि कार्य कराये जा सकते हैं या नहीं यदि नहीं तो नियम व शर्तों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।.

3-विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनुदानित महाविद्यालयों के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत अनुमोदित शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश, प्रसूति अवकाश, कर्तव्य अवकाश, चिकित्सीय अवकाश एवं अन्य अवकाश प्रदान किए जाने के नियमो,अधिनियमों एवं सक्षम अधिकारियो के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान करने का कष्ट करे i

4-नवीन शासनादेश के अनुसार किसी भी अनुमोदित शिक्षक की सेवा, संबन्धित विषय के चलते रहने अथवा संतोषजनक सेवा रहने तक सेवानिव्रत आयु तक जारी रहती है उनका पुनः अनुमोदन के नाम पर शोषण नहीं किया जा सकता। क्या आपके विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे अनुमोदित शिक्षकों का पुनः अनुमोदन कराया गया है (चूंकि आपका विश्वविद्यालय डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से बना है जहां पर पहले से ही नियमानुसार शिक्षकों की अनुमोदन प्रक्रिया आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण हो चुकी है।) आगरा विश्वविद्यालय में आने वाले जिला- अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज में आने वाले समस्त महाविद्यालयों को उनके समस्त पाठ्यक्रमों, प्राचार्यों/शिक्षकों/कर्मचारियों व अन्य जो भी कुछ महाविद्यालय से संबन्धित होता है को, आपके विश्वविद्यालय से नियमानुसार पूर्ण कार्यवाही के उपरांत ही संबद्ध किया जा चुका है। यदि ऐसे में आप इन अनुमोदित शिक्षकों का नए सिरे से पुनः अनुमोदन करा रहे हैं तो क्या आपने आयोग से चयनित शिक्षकों को भी उच्च शिक्षा आयोग चयन आयोग की चयन प्रक्रिया में पुनः शामिल होने के लिए कोई निर्देश/आदेश जारी किए हैं, यदि नहीं तो इन बेचारे अनुमोदित शिक्षकों के साथ ही ये दोयम दर्जे का भेदभाव क्यों ? क्रपया स्पष्ट रूप से बताने का कष्ट करे।

5-क्या उपरोक्त सूचनाये भारत की संसद या किसी राज्य के विधानमण्डल के द्वारा मांगे जाने पर जनसूचनाधिकारी द्वारा प्रदान की जाएँगी।

दिनांक-15/07/2024

धन्यवाद

आवेदक

Deepak Shukla

दीपक शक्ल

Scanned with OKEN Scanner